

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

पत्रांक-1/श्रम न्या० स्थापना 04/2017...../श्र०सं० पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :- श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, मुंगेर की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु पीठासीन पदाधिकारी (वेतनमान 39530-920-40450-1080-49090- 1230-54010) का 1 पद, आशुलिपिक (वेतन स्तर 4) का 1 पद, निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर 2) का 1 पद एवं कार्यालय परिचारी (वेतन स्तर 1) का 2 पद, कुल 5 (पाँच) पद सृजित करने के सम्बन्ध में।

आदेश :- स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय की संरचना निम्नवत् है :-

क्र० सं०	औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम	क्र०	श्रम न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित जिला
1	औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना	1	श्रम न्यायालय, पटना	पटना, नालंदा, भोजपुर, नवादा, बक्सर, जहानाबाद, अरवल
		2	श्रम न्यायालय, डालमियानगर	गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर
		3	श्रम न्यायालय, भागलपुर	भागलपुर, मुंगेर, बाँका, जमुई
2	औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर	1	श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर
		2	श्रम न्यायालय, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज
		3	श्रम न्यायालय, बेगूसराय	बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय
		4	श्रम न्यायालय, मोतिहारी	पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण
		5	श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया (भागलपुर का नवगछिया अनुमंडल)

2. दिनांक 18.02.09 को मा० मुख्यमंत्री द्वारा किये गये घोषणा के आलोक में मुंगेर में श्रम न्यायालय की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु पीठासीन पदाधिकारी का 1 पद, आशुलिपिक का 1 पद, निम्नवर्गीय लिपिक का 1 पद एवं कार्यालय परिचारी का 2 पद, कुल 5 (पाँच) पद सृजित करना आवश्यक समझा गया।

3. उपरोक्त के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, मुंगेर की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु पीठासीन पदाधिकारी (वेतनमान 39530-920-40450-1080-49090- 1230-54010) का 1 पद, आशुलिपिक (वेतन स्तर 4) का 1 पद, निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर 2) का 1 पद एवं कार्यालय परिचारी (वेतन स्तर 1) का 2 पद, कुल 5 (पाँच) पद सृजित किया जाता है।

4. श्रम न्यायालय, मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर में रहेगा तथा इसका क्षेत्राधिकार मुंगेर, जमुई, लखीसराय एवं शेखपुरा जिला होगा।

5. इस पद के सृजन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय ₹ 23,94,084/- (तेईस लाख चौरानवे हजार चौरासी रूपये मात्र) है। व्यय विवरणी संलग्न है। इसके फलस्वरूप संभावित वित्तीय भार का वहन संबंधित विभागीय बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

6. उपर्युक्त पद सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(के० सेंथिल कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम न्या० स्थापना 04/2017.....1484/श्र०सं० पटना, दिनांक-26/6/2018
प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिपरिषद् के बैठक दिनांक 05.06.18 के मद सं० 17 के आलोक में विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/श्रम सेवा (सामान्य एवं तकनीकी) के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।
25/6/18